सत्यमेव जयते

दिल्ली विधान सभा

अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण समिति

(प्रथम प्रतिवेदन)

(19 मार्च, 96को प्रस्तुत किया गया)

DELHI VIDHAN SABHA

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULES TRIBES

FIRST REPORT

(PRESENTED ON 19th MARCH, 1996)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय, दिल्ली

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT, DELHI

वि ष य - सू ची

1. समिति का गठन

2. भूमिका

3. प्रतिवेदन

4. सिफारिशें

...

दिल्ली विधान सभा

अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण समिति

प्रथम प्रतिवेदन

§19 मार्च, 1996 को प्रस्तुत किया गया §

समिति का गठन

1.	श्री स्वरूप चन्द राजन	सभापति
2.	श्री वासदेव कप्तान	सदस्य
3.	श्री चांद राम	सदस्य
4.	श्री मोती लाल सोढी	सदस्य
5.	श्री फतेह सिंह	सदस्य
6.	श्री राज कुमार चौहान	सदस्य
7.	श्री मतीन अहमद	सदस्य

सचिवालय

1.	श्री पी. एन. गुप्ता	सचिव
2.	श्री एस. के. शर्मा	संयुक्त सचिव
3.	श्री एस. के. श्रीवास्तव	समिति अधिकारी

...

दिल्ली विधान सभा

अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण समिति

....

भूमिका

मैं, दिल्ली विधान सभा की अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण समिति का सभापति, समिति द्वारा इस प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने के लिये प्राधिकृत किये जाने पर, वर्ष 1994-95 की अवधि के लिये समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

समिति विधान सभा सचिवालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रति समय-समय पर आयोजित होने वाली बैठकों के लिये पृष्ठभूमिक सामग्री उपलब्ध कराने तथा यह प्रतिवेदन तैयार करने के लिये आभार व्यक्त करती है ।

यह प्रतिवेदन समिति ने अपनी 28 फरवरी, 1996 को सम्पन्न बैठक में स्वीकार किया ।

स्वरूप चन्द राजन
सभापति
अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण समिति

दिल्ली,

दिल्ली विधान सभा

अनुसूचित जाति/ जनजाति कल्याण समिति

प्रथम प्रतिवेदन

समिति का मुख्य उत्तरदायित्व दिल्ली सरकार के विभिन्न/ विभागों/ निकायों द्वारा अनुसूचित जाति/ जनजाति वर्गों को दी जा रही सुविधाओं और इन वर्गों के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जांच करना व उनका विस्तार से अध्ययन करना व उनको कार्यान्वित करवाना है । इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करना है कि शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं/ दी जा रही सुविधाओं का कार्यान्वयन सही प्रकार से हो रहा है अथवा नहीं ।

इस अवधि में समिति की कुल ।। बैठकें हुई । इन बैठकों में समिति ने अनुसूचित जाति/ जनजाति कल्याण निदेशालय, अनुसूचित जाति वित्तीय विकास निगम, समाज कल्याण निदेशालय, दिल्ली वित्त निगम व अन्य संबंधित निकायों/ विभागों के प्रतिनिधियों से विस्तार से विचार-विमर्श किया और अनुसूचित जाति/ जनजाति के वर्गों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं/ उनके लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं व ऋण आदि प्रदान किये जाने के बारे में जानकारी मांगी । इसके अतिरिक्त सेवाओं में आरक्षण, बैकलॉग की पूर्ति, सिर पर मैला ढोने की प्रथा की समाप्ति तथा उपायुक्त, दिल्ली द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र में "चूड़ा" व "चमार" जैसे आपत्तिजनक शब्दों के स्थान पर "वाल्मीकि" व "जाटव" शब्दों का प्रयोग करने आदि विभिन्न ज्वलन्त समस्याओं के बारे में समिति ने अपनी बैठकों में विस्तार से चर्चा की । लगभग सभी बैठकों में दिल्ली वित्त निगम/ अनुसूचित जाति/ जनजाति कल्याण निदेशालय/ दिल्ली अनुसूचित जाति वित्तीय विकास निगम/ समाज कल्याण निदेशालय/ उपायुक्त, दिल्ली कार्यालय/ योजना विभाग आदि से उच्च स्तर के अधिकारी उपस्थित हुए और उन्होंने इन वर्गों को दी जा रही सुविधाओं और उनके लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी समिति को दी ।

दिल्ली अनुसूचित जाति वित्तीय विकास निगम

दिल्ली अनुसूचित जाति वित्तीय विकास निगम दिल्ली में रहने वाले अनुसूचित जाति के सदस्यों के वित्तीय उत्थान के लिये कार्यरत है ताकि निम्न आय वर्ग के लोग अपनी आजीविका उपार्जित कर सकें । निगम परचून की दुकान, बीड़ी-सिगरेट की दुकान या इसी प्रकार अन्य लघु उद्योगों के लिये अनुसूचित जाति के लोगों को अधिकतम 35 हजार रुपये तक की ऋण सहायता प्रदान करता है और इसमें 50 प्रतिशत या अधिकतम 5 हजार रुपये (जो भी कम हो) का अनुदान निगम द्वारा दिया जाता है और 4 प्रतिशत बैंक को बतौर मार्जिन मनी प्रार्थी को सहायतार्थ निगम देता है ।

समिति ने निगम प्रतिनिधियों से इस संबंध में विस्तार से विचार-विमर्श करते हुए कुछ जानकारी मांगी :-

	समिति द्वारा मांगी गई जानकारी	विभागीय उत्तर		
		जनरल लोन स्कीम	स्वर्वेजर स्कीम	टी. एस. आर.
1.	वर्ष 1993-94 में निगम द्वारा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कितने आवेदन-पत्र ऋण प्रदान करने हेतु प्राप्त किए गए	3785	1952	254
2.	कितने मामलों में ऋण स्वीकृत किया गया	912	189	125
3.	कितने मामले अभी तक विभिन्न बैंकों में लंबित है ।	449	1239	-
4.	कितने मामले स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा रिजैक्ट किये गये	840	22	25
5.	कितने मामले निगम के पास सर्वे के लिये लंबित है ।	1584	502	104

समिति ने यह भी जानकारी चाही कि अनुसूचित जाति/जनजाति के कल्याण हेतु चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जांच-पड़ताल हेतु निगम में गठित मॉनिटरिंग कमेटी की एक वर्ष के दौरान कुल कितनी बैठकें आयोजित की गई ।

विभागीय प्रतिनिधियों ने समिति को बताया कि मॉनिटरिंग कमेटी के अध्यक्ष की व्यस्तता के कारण अभी तक वर्ष में केवल एक बैठक ही आयोजित की गई है ।

समिति ने इस पर असहमति व्यक्त की और मॉनिटरिंग कमेटी की नियमित बैठकें आयोजित करने की सिफारिश की ।

समिति को बताया गया कि 1 अप्रैल, 1994 से 30 नवम्बर, 1994 के दौरान गरीबी की रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने वाले 3785 आवेदकों से विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्राप्त किये गये थे जिनमें से 1752 मामले जांच समिति के समक्ष रखे गये, 912 मामलों में ऋण प्रदान किया गया तथा 840 आवेदन पत्रों को आवश्यक शर्तें पूरी न करने के कारण अस्वीकृत किया गया ।

समिति ने इन आंकड़ों से अपनी असहमति जताई और विभागीय प्रतिनिधियों को निदेश दिया था कि वे अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों को ऋण सुविधा प्रदान करें । विभागीय प्रतिनिधियों ने भविष्य में इस संबंध में और अधिक ध्यान देने और इन योजनाओं को सरल बनाने का आश्वासन दिया ।

सिर पर मैला ढोने की प्रथा

सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने एवं इस संबंध में कारगर कदम उठाने की ओर समिति ने विशेष रूचि दिखाई । इस संबंध में समिति को बताया गया कि अनुसूचित जाति वित्तीय विकास निगम द्वारा इच्छुक व्यक्तियों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है । इसके लिए ऋण सीमा 50 हजार रूपये और 10 हजार रूपये या 50 प्रतिशत (जो भी कम हो) की अनुदान राशि दी जाती है । इस योजना के अंतर्गत वर्ष 1994 में 138 व्यक्तियों को 6 माह का प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।

दिल्ली वित्त निगम

दिल्ली वित्त निगम के प्रतिनिधियों ने समिति को जानकारी दी कि निगम द्वारा सभी वर्गों के उद्यमियों को आर्थिक सहायता ऋण के रूप में दी जाती है लेकिन अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों से सामान्य वर्ग के उद्यमियों से कम दर पर ब्याज लिया जाता है ।

समिति द्वारा मांगी गई जानकारी	विभागीय उत्तर
1. समिति ने जानना चाहा कि जो ऋण सीमा 1977-78 में तय की	विभागीय प्रतिनिधियों का कहना था कि ऋण की दरें

	गई थी, वह बहुत कम है, इतमें वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए गए ।	निगम की बजाय आई.डी.बी.आई. बंबई के द्वारा तय की जाती है और इस संबंध में दिल्ली सरकार द्वारा आई.डी.बी.आई., बंबई तथा वि मंत्रालय से सिफारिश की जा सकती
2.	निगम द्वारा ऋण प्रदान करने में कितना समय लग जाता है ।	आवेदन-पत्र जमा कराने के बाद आवश्यक शर्तें पूरी करने के तुरन्त बाद कार्रवाई शुरू कर दी जाती है
3.	ऋण वापसी की विस्तृत प्रक्रिया क्या है ?	ऋण की अदायगी का समय 4 से 7 वर्ष तक है । उद्यम लगाने के बाद लाभ प्राप्त होने पर ही किश्त लेना शुरू की जाती है ।

जाति प्रमाण-पत्र में सुधार

समिति ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि उपायुक्त, दिल्ली कार्यालय द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र में "चूड़ा" व "चमार" और "भंगी" जैसे अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, इन शब्दों को हटा दिया जाना चाहिये और इन शब्दों के स्थान पर "वाल्मीकि" एवं "जाटव" शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए एवं जाति प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया जाए ।

अन्य विधान सभाओं की अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण समितियों के साथ विचार-विमर्श

दिनांक 2 मार्च, 1994 को बिहार विधान सभा की अनुसूचित जा जनजाति कल्याण समिति दिल्ली के भ्रमण पर आई थी एवं दिल्ली विधा सभा की अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण समिति के साथ उनकी बैठक हुई थी । जिस बैठक में दोनों प्रदेशों की समितियों ने अपने अपने प्रदेशों की विभिन्न योजनाओं एवं इन वर्गों को दी जा रही सुविधाओं आदि के बारे में विस्तार से विचार विमर्श किया एवं विचारों का आदान-प्र किया ।

अन्य विधान सभाओं का भ्रमण

दिल्ली विधान सभा की अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण समिति सितम्बर, 1994 में असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल राज्यों के अध्ययन दौरे पर गई थी और समिति ने इन राज्यों की अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण समिति से विस्तृत विचार-विमर्श किया और विभिन्न विषयों पर जानकारी हासिल की ।

सिफारिशें

1. समिति ने सिफारिश की कि दिल्ली वित्त निगम वर्ष 1977-78 में तय की गई ऋण सीमा में वृद्धि के संबंध में विचार करें और मामले को दिल्ली सरकार के समक्ष प्रस्तुत करे ताकि ऋण राशि में वृद्धि के लिये मामले को आई. डी. बी. आई., बम्बई तथा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के स्तर पर उठाया जा सके ।

2. सिर पर मैला ढोने की प्रथा को समाप्त करने के लिये निश्चित समय सीमा निर्धारित की जाए ताकि इस कलंकित प्रथा को राजधानी से सदैव के लिये समाप्त किया जा सके ।

3. दिल्ली अनुसूचित जाति वित्तीय विकास निगम जो ऋण अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और सम्मानजनक आजीविका उपार्जित करने की दृष्टि से देता है उसमें कुछ विसंगतियां हैं । उदाहरण के लिये अनुसूचित जाति वित्तीय विकास निगम लोगों को 35 हजार रुपये तक की अधिकतम ऋण सहायता प्रदान करता है उसमें निगम अंशदान के रूप में 4 प्रतिशत बैंकों को देता है और शेष राशि वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी जाती है । ऋण की वसूली में जो सीमांत धन (मार्जिन मनी) निगम बैंकों को देता है वो भी बैंक स्वयं ब्याज सहित वसूल करते हैं और उसका कोई लाभ अनुसूचित जाति वित्तीय विकास निगम को नहीं मिलता है । इसलिये समिति सिफारिश करती है कि सरकार इस मामले का गहन अध्ययन करे और जो भी विसंगतियां हों उनको दूर करने के लिये ठोस कदम उठाए जाए ।

4. जनरल लोन/स्वर्वेजर स्कीम/टी. एस. आर. स्कीम/डी. एल. वाई. टैक्सी स्कीम के अंतर्गत जितना लक्ष्य रखा गया था उसका गहन अध्ययन करने के बाद समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये एक वित्तीय वर्ष में जितना बजट आबंटित किया जाना चाहिये था उससे कम बजट आबंटित किया गया जिसके कारण एक वित्तीय वर्ष में निर्धारित किया गया लक्ष्य पूरा नहीं हो सका ।

इसलिये समिति सिफारिश करती है कि अनुसूचित जाति/जनजाति

के लिये कल्याणकारी योजनाओं का लक्ष्य निर्धारित करते समय वित्तीय वर्ष में लक्ष्य के अनुसार ही बजट का आबंटन किया जाए ताकि सरकार समयबद्ध ढंग से अपने उद्देश्यों को पूर्ति कर सके ।

5. समिति यह भी सिफारिश करती है कि अनुसूचित जाति वित्तीय विकास निगम/ अनुसूचित जाति/ जनजाति कल्याण निदेशालय द्वारा अनुसूचित जाति/ जनजाति के व्यक्तियों को ऋण देते समय स्वयं ही प्रार्थना पत्रों/ आवेदन पत्रों की एक स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा जांच करके एक साथ बैंकों को भेजा जाना चाहिये ताकि आवेदनकर्ताओं को बार बार बैंकों द्वारा भी इस तरह की स्क्रीनिंग किये जाने की अनावश्यक प्रक्रिया से न गुजरना पड़े तथा यह भी सुनिश्चित किया जाए कि आवेदनकर्ताओं को 60 दिन के अंदर अंदर ऋण प्रदान कर दिया जाए ।

समिति यह भी सिफारिश करती है कि निगम की मानिटरिंग कमेटी की बैठक नियमित रूप से अधिक रूप में प्रति तिमाही एक बार जरूर आयोजित की जानी चाहिए ताकि अनुजाजा/ जजाजा के लिए कल्याणोन्मुखी योजनाएँ बनाने और उन्हें समयबद्ध ढंग से लागू करने में अनावश्यक विलंब न हो ।

6. समिति यह भी सिफारिश करती है कि सरकार हरिजन बस्तियों की पहचान के लिए मानदंड निर्धारित करे एवं उनमें नागरिक सुविधाएं प्रदान करे ।

7. अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए चलाई जा रही योजनाओं को विस्तार से आकाशवाणी-दूरदर्शन एवं समाचार-पत्रों के माध्यम से प्रचारित-प्रसारित किया जाए तथा विभिन्न योजनाओं की जानकारी विधान सभा के सभी सदस्यों को भी समय-समय पर उपलब्ध कराई जाए ।

8. समिति ने शिक्षा निदेशालय, दिल्ली सरकार में शिक्षकों की वाईस-प्रिंसिपल के रूप में पदोन्नति और दिल्ली नगर निगम में जूनियर इंजीनियरों को सहायक इंजीनियरों के पदों पर पदोन्नति

से संबंधित मामलों का भी अध्ययन किया है और उसका निष्कर्ष है कि समयबद्ध ढंग से जिस तरह इन पदों पर अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की पदोन्नति होनी चाहिये, वह नहीं हो रही है । अत: समिति सिफारिश करती है कि सरकार इस मामले की ओर विशेष ध्यान दें ताकि अनुसूचित जाति/ जनजाति के लोगों को उनका उचित लाभ मिल सके ।

समिति ने अपना यह प्रतिवेदन दिनांक 28.2.1996 को सम्पन्न बैठक में स्वीकृत किया ।

विक्रम चन्द राजन

सभापति

अनुसूचित जाति/ जनजाति कल्याण समिति

दिल्ली विधान सभा

दिल्ली ।

CONTENTS

1. Composition of the Committee

2. Preface

3. Report

4. Recommendations

DELHI VIDHAN SABHA

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES/ SCHEDULED TRIBES

FIRST REPORT

(Presented on 19th March, 1996)

Composition of the Committee

1.	Shri Swaroop Chand Rajan	Chairman
2.	Shri Vasdev Kaptan	Member
3.	Shri Chand Ram	Member
4.	Shri Moti Lal Sodhi	Member
5.	Shri Fateh Singh	Member
6.	Shri Raj Kumar Chauhan	Member
7.	Shri Matin Ahmed	Member

SECRETARIAT

1.	Shri P.N. Gupta	Secretary
2.	Shri S.K. Sharma	Joint Secretary
3.	Shri S.K. Srivastava	Committee Officer

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

COMMITTEE ON THE WELFARE OF
SCHEDULED CASTES/SCHEDULED TRIBES

PREFACE

I, the Chairman, Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes having been authorised by the Committee to submit the report on their behalf, present this Ist Report (Ist Vidhan Sabha) for he year 1994-95.

The Committee thanks the officers and staff of the Vidhan Sabha Sachivalaya for providing background material for preparing this report.

The Report was considered and adopted by the Committee in its sitting held on 28 February, 1996.

SWAROOP CHAND RAJAN
CHAIRMAN
Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

Delhi.

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

FIRST REPORT

The main function of the Committee is to examine various facilities and schemes that are being extended and implemented for the benefit of these Communities besides studying the same in detail and ensuring their speedy implementation by various Departments/Bodies of the Delhi Government. In addition, the Committee has also to ensure whether various schemes arebeing run with the right earnest.

The Committee, in all, held eleven (11) sittings during the period under report. The Committee discussed in detail matters relating to various welfare schemes and facilities being made available to scheduled castes/Scheduled Tribes by the Government of Delhi with departmental representatives of Directorate of Welfare of SC/ST and Delhi Scheduled Caste Financial Development Corporation including other concerned Departments and sought for information from them in regard to loan facilities and other welfare schemes. The Committee also deliberated at length the burning issues relatingto reservation in services, fulfilling the back-log in recruitments, abolition of scavenging practice, substitution of more refined words viz. 'Balmiki' and 'Jatav' etc. in place of the objectionable words like 'Chooda' or 'Chamar' etc. presently being used in the caste certificates issued by the Office of Deputy Commissioner, Delhi. Senior Officers of Delhi Finance Corporation, Directorate of SC/ST, Delhi Scheduled Caste Financial Development Corporation, Directorate of Social Welfare, D.C., Delhi and Planning Department etc. invariably attended the meetings of the Committee and furnished relevant information relating to various schemes and facilities being implemented by the Government.

DELHI SCHEDULED CASTE FINANCIAL DEVELOPMENT CORPORATION

Delhi Scheduled Caste Financial Development Corproation is actively engaged in the financial upliftment of the persons belonging to scheduled caste communities residing in Delhi so that the people belonging to low income group could earn their livelihood respectively. The Corporation provides loan upto a maximum limit

of Rs. 35,000/= (Rupees Thirty five thousand) to the members of SC community for running grocery or Beatle-cigarette shops or similar other small Scale Industries which includes 50% or Rs. 5,000/= (Rupees five thousand) (whichever is less) as subsidy. Besides the corporation also provides an amount to the tune of 4% to Banks as margin money with a view to help the applicants.

The Committee while discussing these issues with the Departmental representatives of DSF&DC inter-alia asked for the following information:-

Information sought by the Committee	Departmental Reply		
	General loan Scheme	Scavenger Scheme	T.S.R. Scheme
1. Total No. of application received by the Corproation during the year 1993-94 for grant of loan under different Schemes.	3785	1952	254
2. In how many cases loan was sanctioned.	912	189	125
3. No. of cases still lying pending with the Banks.	449	1239	--
4. No. of cases rejected by the screening Committee.	840	22	25
5. No. of cases lying pending with the Corporation for survey.	1584	502	104

The Committee also desired to know as to how many meetings of monitoring Committee were held for detailed examination/analysis of various schemes being run for the welfare of Scheduled Castes during the period under report.

The departmental representatives informed the Committee that owing to the busy schedule of the Chairman of the monitoring Committee, only one meeting could be held during the year so far.

The Committee expressed its note of dissent over this information and recommended holding of regular meetings by the monitoring Committee.

The Committee was informed that a total 3785 applications were received from the candidates living below the poverty line for grant of loan under various categories out of which 1752 cases were placed before the screening Committee for scrutiny. Loans were sanctioned in respect of 912 cases while 840 applications were rejected as these did not fulfil the required conditions/formalities.

The Committee disagreed with the data so furnished and directed the departmental representatives to ensure that loan is given to more and more needy persons. The Departmental representatives assured the Committee that they would pay more heed in this regard and simplify these schemes and programmes.

Scavening Practice:

With a view to taking up effective steps, the Committee evinced keen interest in regard to abolition of scavenging practice. The Committee was informed that training is being imparted to the needy people of diffferent trades by the Scheduled Caste Financial Development Corporation and in order to meet this purpose, loan to a maximum limit of Rs. 50,000/= beside a subsidy of Rs.10,000/= or 50% (whichever is less) is provided to the applicants. 138 persons were trained for a period of six months during the year 1994 under this scheme.

Delhi Finance Corporation

Representaives from Delhi Finance Corporation informed the Committee that though financial assistance is provided to the enterpreneurs belonging to all sections of society in the form of loan, the interest being released from the enterpreneurs hailing from Scheduled Caste Community is charged at lower rate of interest as compared to general category enterpreneurs.

Information sought by the Committee.	Department Reply
1. The Committee desired to know as to what steps have been taken to riase the loan limit	Thd Departmental representatives informed the Committee that rates

in comparison with the loan limit that was prescribed during 1977-78 being a minimum limit.	of loan are decided by I.D.B.I. instead of corporation and Ministry of Finance.
2. How much time is taken by the Corproation in providing the loan.	Subsequent to submission of application forms, immediate follow up action is taken by the Corporation. Hence recommendations of this effect can be made to I.D.B.I. Bombay, Ministry of Finance, Government of India by the Delhi Government in this regar d.
3. What is the detailed procedure for repayment of loan.	The period for repayment of loan spans from 4 years to 7 years and only after setting up of industry and subsequent to earning of profit by it, instalments are realised.

Improvement in Caste Certificate:

The Committee specifically emphasised that the words namely 'Chooda', 'Chamar' and 'Bhangi' which in its view are insulting and derogatory, should be deleted and substituted by the words 'Jatav' and 'Balmiki' respectively. The Committee also insisted on simplification of procedure relating to issuance of caste certificate.

Discussion with the sister Committee of other State Legislatures.

Committee on the Welfare of Scheduled Caste/Scheduled Tribes, Bihar Legislative Assembly during its study tour programme visited Delhi on 2nd March, 1994 and held meeting with the sister Committee of Delhi Vidhan Sabha. Both the Committees exchanged views relating to various welfare schemes and facilities being implemented/extended to SC/ST Community by their respective states. They also discussed several other problems threadbare affecting the people of this section of society so as to find certain remedial solutions to such problems.

Visit of other State Legislatures:

The Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes also conducted a study tour programme to Assam, Meghalaya and West Bengal during September, 1994. During its visit, the Committee discussed various issues and problems of mutual interest with the sister Committees of all these State Legislatures and

gathered valuable information pertaining to its functions and concerns.

Recommendations

1. The committee recommends that the Delhi Finance Corporation may reconsider the matter in regarding to raising the existing loan limit which was set during the year 1977-78 and put up the matter before the Government of Delhi so that the issue could be raised at the level of I.D.B.I., Bombay and Ministry of Finance, Government of India.

2. A certain time limit be fixed/stipulated in order to abolish Scavenging so that this stigmatised practice could be abolished from the capital for ever.

3. There are certain discrepancies in existing procedure relating to grant of loan to Scheduled Castes/Scheduled Tribes which is being provided to them by Delhi Scheduled Caste Financial Development Corporation with a view to raise their living standard and make them earn some respectable job for their livelihood. For instance, Delhi Scheduled Caste Financial Development Corporation provides loan assistance to the people of this Community to a maximum limit of Rs.35,000/= (Rupees thirty five thousand) out of which the corporation contributes 4% amount to Banks while the rest of the amount is provided by Ministry of Finance, Government of India. During the course of realisation of loans, the Banks themselves realise the margin money contributed to them by the corporation with interest and as such the Delhi Scheduled Caste Financial Corporation remains at a loss as it does not get any benefit from this margin money. Therefore the committee recommends the Government of Delhi to go in depth of this issue and take concrete steps to wipe out the existing discrepancies involved is the procedure.

4. Having thoroughly studied and examined the targets fixed under general loan Scheme/Scavenger Scheme/TSR Scheme/DLY-Taxi Scheme, the committee arrived at the conclusion that in order to achieve the fixed targets in a particular Financial year, less budget was allocated as compared to the required budget owing to which the targets so fixed for a financial year could not be achieved.

Therefore the committee recommends that while fixing targets of different welfare Schemes for SC/ST, budget be also allocated in commensuration with the targets fixed for a financial year so that the Government could meet its objectives in a time bound manner.

5. The Committee also recommends that while sanctioning loans to the persons belonging to Scheduled castes/Scheduled Tribes, the Scheduled Caste Financial Development Coporation, Directorate of Welfare of Scheduled Castes/Scheduled Tribes should themselves get the application scrutinised by a screening Committee and send the same to the Banks in one go so that the applicants have not to undergo through unnecessary procedure of screening conducted by the Banks again and again, and it may also be ensured that the applicants are provided loan within 60 days.

The Committee also recommends that the quarterly meeting of the monitoring Committee of the Corporation be held regularly so that unnecessary delay in formulating the welfare schemes and their implementation in a time bound manner could be avoided.

6. The Committee also recommends the government to prescribe criteria for identification of Harijan Bastis and provide civic amenities therein.

7. The Committee recommends that the welfare schemes being presently run by the government be given wide publicity through Akashwani, T.V. and Newspapers and information relating to these schemes be also provided to all the members of Legislative Assembly of Delhi from time to time.

8. The Committee studied in depth the matter regarding promotion of teachers to the post of Vice-Principals in the schools of Delhi being run by Delhi Government including promotions of Junior Engineers to the post of Assistant Engineers in M.C.D. The Committee has come to the conclusion that time bound promotions of the persons belonging to SC/ST community as is required, is not being made by the concerned authorities. Therefore the Committee recommends the Government to payspecial attention to this matter so that the people of SC/ST could get their due benefit.

The Committee adopted its this first report in its meeting held on 28.2.1996.

(SWAROOP CHAND RAJAN)
CHAIRMAN,
COMMITTEE ON THE WELFARE OF
SCHEDULED CASTES/SCHEDULED TRIBES

Delhi.